

राजस्थान सरकार  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग


क्रमांक: सूजस/समाचार/ 831-36

जयपुर, दिनांक: 02.05.2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों द्वारा मेल अथवा व्हाटसएप पर भिजवाये गये प्रपत्रों के आधार पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा अप्रैल माह तक 102 पात्र अधिस्वीकृत पत्रकारों को सम्मान राशि स्वीकृत की जाकर उनके बैंक खातों में सम्मान राशि भिजवायी जा चुकी है।

इस संबंध में विभाग के आदेश क्रमांक 7459-7519 दिनांक 30.04.2020 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है योजना में पात्र पत्रकारों से चाहे गये दस्तावेज लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात स्थिति सामान्य होने पर विभाग में जमा कराये जा सकते हैं तथा पात्र पत्रकारों की सम्मान राशि उनके बैंक खातों में पुर्वानुसार भिजवायी जाती रहेगी।

  
आयुक्त

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री सूजस।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूजस।
5. संबंधित पत्रकार।
6. गार्ड फाईल।

  
संयुक्त निदेशक(समाचार)